

दिल्ली विकास प्राधिकरण
गोपनीय शाखा

संस्थापना आदेश: 1238

दिनांक:- 13/9/18

विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिशों के आधार पर वित्त सदस्य, दि.वि.प्रा. निम्नलिखित सहायक अनुभाग अधिकारियों (सहायकों) को सहायक निदेशक (मिनिस्ट्रीयल) के पद पर सातवें वेतन आयोग की संशोधित संरचना में लेवल 8 (जो कि छठे वेतन आयोग में 9300-34800/- रू. के पे बैंड में 4800/- रू. के ग्रेड पे था) पदोन्नत करते हैं:-


क्रम सं. / वरियता सं.	नाम व पिता/पति का नाम सर्व/श्री	तैनाती का वर्तमान स्थान
1/1480	श्रीमती सरोज बाला आहूजा धर्मपत्नी श्री जी.के. आहूजा	पश्चिमी खण्ड 7
2/1481	किशन चंद सुपुत्र श्री कली राम	एल.एस.ए 1
3/1483	श्रीमती उषा शर्मा धर्मपत्नी श्री जे.के शर्मा	पुस्तकालय विकास सदन
4/1488	नारायण सिंह बिष्ट सुपुत्र श्री दुर्गा सिंह	उत्तरी खण्ड 5

2. यदि उपरोक्त अधिकारियों को ए.सी.पी./एम.ए.सी.पी.स्कीम के अंतर्गत 9300-34800/- रू. के वेतनमान में 4800/- रू. के ग्रेड पे सहित (छठा वेतन आयोग) पहले ही वित्तीय अभिवृद्धि प्रदान कर दी गई है, तो उन्हें कोई वित्तीय लाभ की अनुमति नहीं होगी परन्तु उनका वेतन सातवें वेतन आयोग की संशोधित संरचना में लेवल 8 में निर्धारित होगा। यदि पहले वित्तीय लाभ नहीं मिला है तो उनके वेतन का निर्धारण सातवें वेतन आयोग के प्रावधानों के आधार पर होगा। उनके वेतन का निर्धारण एफ.आर.22(1)(क)(1) के प्रावधानों के अंतर्गत निर्धारित किया जाएगा तथा वे इस आदेश के जारी होने के 30 दिन के भीतर एफ.आर.22(1)(क)(1) के प्रावधानों के अनुसार अपने वेतन निर्धारण के विकल्प का प्रयोग कर सकते हैं।

3. सहायक निदेशक (मिनिस्ट्रीयल) के पद पर अधिकारियों की पदोन्नति के परिणामस्वरूप सक्षम अधिकारी ने उनकी तैनाती / स्थानांतरण को निम्नानुसार अनुमोदित किया है:-

क्रम सं. / वरि. सं.	नाम व पिता/पति का नाम सर्व/श्री	स्थान से	स्थान को
1/1480	श्रीमती सरोज बाला आहूजा धर्मपत्नी श्री जी.के. आहूजा	पदोन्नति पर	एस.ए.जी.आर.
2/1481	किशन चंद सुपुत्र श्री कली राम	पदोन्नति पर	एस.ए.जी.आर.
3/1483	श्रीमती उषा शर्मा धर्मपत्नी श्री जे.के शर्मा	पदोन्नति पर	पुस्तकालय विकास सदन (सेवा निवृत्ती तक)
4/1488	नारायण सिंह बिष्ट सुपुत्र श्री दुर्गा सिंह	पदोन्नति पर	कार्मिक शाखा 4

4. उन्हें आगे कार्यभार ग्रहण करने की सूचना की एक प्रति उप निदेशक (कार्मिक)-1 को भेजते हुए अपने संबंधित अधिकारी को रिपोर्ट करने का निर्देश दिया जाता है।



(तेजपाल सिंह)

उप निदेशक (गोपनीय शाखा)

सं.-एफ.10(73)2018/सी.सी./ 1283

दिनांक:- 13-9-18

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. वित्त सदस्य, दि.वि.प्रा. के निजी सचिव को सूचनार्थ ।
2. प्रधान आयुक्त (कार्मिक), दि.वि.प्रा. के निजी सचिव ।
3. आयुक्त (कार्मिक), दि.वि.प्रा. के निजी सचिव ।
4. निदेशक (कार्मिक)-1 एवं 2 / सतर्कता / प्रणाली, दि.वि.प्रा. ।
5. अधिशासी अभियंता, पश्चमी खंड-7, उत्तरी खंड- 5, दि.वि.प्रा. ।
6. उप निदेशक (कार्मिक)-1, 3 एवं 4 / सतर्कता(प्रशा.) / आरक्षण कक्ष/ एस.ए.जी.आर., दि.वि.प्रा. ।
7. उप निदेशक (प्रणाली), दि.वि.प्रा. की वेबसाइट पर डालने हेतु (About us-> Organisation-> Personnel-> Promotions 2018) ।
8. लेखाधिकारी (संस्था), राजपत्रित / अराजपत्रित-IV / सम्बंधित (सी.ए.यू.)/ एल.एस.ए.-1, दि.वि.प्रा. ।
9. लाइब्रेरियन, विकास सदन, दि.वि.प्रा. ।
10. सहायक निदेशक (कार्मिक)-1 एवं 3 / पी.आई.एम.एस. / (गोपनीय कक्ष)-2, दि.वि.प्रा. ।
11. उक्त उल्लिखित अधिकारी ।
12. व्यक्तिगत फाइल / संस्थापना आदेश पुस्तिका / गार्ड फाइल।

हरि

सहायक निदेशक (गोपनीय शाखा)